बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

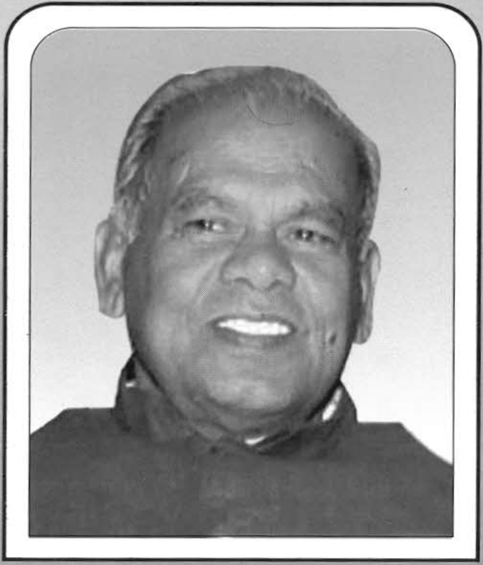

बिहार विधान मंडल के 177 वें सत्र में

श्री जीतन राम मांझी, मुख्य

(आपदा प्रबंधन विभाग) मंत्री, बिहार सरकार

का वर्ष 2014-15 का बजट भाषण

कार्यक्रम - 2014-15

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

<u>माननीय मंत्रो, आपदा प्रबंधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2014–15 का बजट भाषण</u>

आपदा प्रबंधन विभाग का उद्देश्य विभिन्न आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, ओलापात, अग्निकांड, चक्रवातीय तूफान, वज्रपात, शीतलहर आदि से प्रभावित लोगों को साहाय्य प्रदान करने तथा उनसे न्यूनतम क्षति हो, इसका उपाय करना है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा गैर प्राकृतिक आपदा से घायल एवं मृत व्यक्तियों के परिवारों को अस्पताल में उनके उपचार के लिए व्यय तथा यथा स्थिति अनुग्रह अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2009–10 से वज्रपात के कारण मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनुग्रह अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न, नगद अनुदान के अतिरिक्त फसल क्षति अनुदान, गृह क्षति अनुदान, पशु क्षति अनुदान देने की भी व्यवस्था है। इसके अलावा नदियों के कटाव से विस्थापित जनसंख्या के पुनर्वास हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षमता संवर्द्धन के लिए सरकारी कर्मियों एवं समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम भी विभाग के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें बाढ़ आपदा से राहत एवं बचाव हेतु गोताखोरों का प्रशिक्षण, स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, दियारा क्षेत्र के व्यक्तियों का प्रशिक्षण, क्वीक मेडिकल रिस्पौंस टीम का प्रशिक्षण, मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षण, भूकम्परोधी निर्माण हेतु विभिन्न एजेन्सियों यथा अभियन्ता, वास्तुविद, ठिकेदार, राजमिस्त्री आदि का प्रशिक्षण प्रमुख हैं।

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 के लिए राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के आलोक मे उक्त कोष के संचालन हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति गठित है। इस कोष के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 मे 406.57 करोड़ रूपये कर्णांकित है। राज्य आपदा रिस्पौंस कोष का उपयोग प्राकृतिक आपदा यथा– चक्रवात, सूखा, भूकम्प, अग्निकांड, बाढ, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमपात (हिमवषा), शीतलहर, बादल फटने तथा कीट आक्रमणों से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय की पूर्ति के लिए किया जाता है। केन्द्र द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष में 75 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में तथा 25 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। विशेष प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से विशेष सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह सारी राशि राज्य आपदा रिस्पौंस कोष की राज्य कार्यकारिणी समिति के नियंत्रणाधोन संचालित होतो है। गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान राज्य सरकार अपने साधन स्त्रोत से कराती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य साधन स्त्रोत से वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान, राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनुदान, आपदा प्रशिक्षण पर व्यय एवं प्राकृतिक आपदा

राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन हेतु भी राशि का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निम्नलिखित मांग के द्वारा बजट उपबंध मे राशि की व्यवस्था प्रस्तावित हैः–

मांग संख्या– 39

गैर योजना मुख्य शीर्ष	**(राशि रु0 में)**
2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–01–सूखा/02–बाढ़ चक्रवात आदि/06–भूकम्प	4,06,57,00,000.00 (चार अरब छः करोड़ सनतावन लाख)
2245–02–101–0010–वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	2,00,00,000.00 (दो करोड़)
2245–02–101–0015–राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों /परिवारों को अनुग्रह अनदान	1,00,00,000.00 (एक करोड़)
2245–80–सामान्य–001–0001– आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	5,79,56,000.00 (पाँच करोड़ उनासी लाख छप्पन हजार)
2245–80–001–0002–बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	4,07,21,000.00 (चार करोड़ सात लाख इक्कीस हजार)
2245–80–003–0001– आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	5,00,000.00 (पॉच लाख)
2245–80–102–0005– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	5,00,00,000.00 (पाँच करोड़)
2245–80–102–0006– प्राकृतिक आपदा राहत वितरण कार्यक्रमों का प्रबंधन	5,00,000.00 (पॉच लाख)
2245–80–102–0007– शताब्दी अन्न कलश योजना	1,000.00 (एक हजार)
2251–00–090–0017– आपदा प्रबंधन विभाग (मुख्यालय स्थापना)	6,13,36,000.00 (छः करोड़ तेरह लाख छत्तीस हजार)
2235–01–200–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय	50,00,000.00 (पचास लाख)
2235–01–200–0004–कटाव से विस्थापितों को भ्मि की क्षति के लिए साहाय्य अनुदान	12,16,87,000.00 (बारह करोड़ सोलह लाख सतासी हजार)
2235–60–200–0008– गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मृत्यु/घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान	7,00,00,000.00 (सात करोड़)
2070–00–106–सिविल रक्षा (मुख्यालय स्थापना/जिला प्रभार/प्रशिक्षण)	4,75,09,000.00 (चार करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार)
योग	**4,55,09,10,000.00** **(चार अरब पचपन करोड़ नौ लाख**

	दस हजार)

<u>मांग संख्या– 39</u>

योजना मद :– मुख्य शीर्ष	**(राशि रु0 में)**
2245–02–001–0101–बाढ़ प्रवण जिलो मे व्यवस्था	5,00,00,000.00 (पाँच करोड़)
2245–02–112–0104–संचार उपकरणों का क्रय	5,50,00,000.00 (पाँच करोड़ पचास लाख)
2245–80–001–0103– आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	1,26,27,000.00 (एक करोड़ छब्बीस लाख सताईस हजार)
2245–80–102–0103– एन0डी0एम0ए0 की परियोजनाएं	3,00,000.00 (तीन लाख)
2245–80–102–0104– राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स	16,00,00,000.00 (सोलह करोड़)
2245–80–102–0105– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	10,00,00,000.00 (दस करोड़)
2245–80–800–0102– जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	11,28,00,000.00 (ग्यारह करोड़ अठाईस लाख)
4250–00–051–0104–वेयरहाउस	40,00,000.00 (चालीस लाख)
योग	**₹ 49,47,27,000.00 (उनचास करोड़ सैंतालीस लाख सताईस हजार)**

- राज्य के 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रवण जिलों में आते हैं, जिनमें 15 अति बाढ़ प्रवण जिलों के श्रेणी में आते हैं। सुपौल, सारण, नालन्दा, वैशाली, पूर्णियां, शिवहर, खगड़िया, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, पटना सिवान, गोपालगंज, बक्सर, दरभंगा, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, मधेपुरा, शेखपुरा, किशनगंज, भोजपुर, लखोसराय एवं बेगूसराय बाढ़ प्रवण जिले हैं। अति बाढ़ प्रवण जिलों को श्रेणी में सुपौल, मधेपुरा, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय एवं भागलपुर आते हैं।
- वर्ष 2013–14 में बाढ़ प्रभावित 20 जिले में 126 प्रखंडों की 1062 पंचायतों के 4540 गॉवों की 69.60 लाख आबादी प्रभावित हुई। आबादी निष्क्रमण एवं आवागमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3306 नावों का परिचालन किया गया। प्रभावितों के बीच 579825.00 क्वीं गेहूँ, 367117.00 क्वीं चावल वितरित किय गए। प्रभावितों के बीच 11741.00 लाख रूपये नगद अनुदान

के रूप में वितरित किये गए। इसके अलावा प्रभावितों के बीच 11250.00 क्वी0 चूड़ा, 1650.00 क्वीं0 गुड़ एवं 87119 पॉलीथीन शीट्स वितरित किये गए।

1. बाढ़ आपदा प्रबंधनः–

- विभाग द्वारा आपदाओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

- सभी बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारियों को वर्त्तमान वर्ष 2014 में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निबटने हेतु आवश्यक पूर्व तैयारियॉ करने हेतु निदेश भेजे गये है। बाढ़ से क्षति होने की स्थिति मे राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस कोष से मानदर के अनुरूप सहायता का प्रावधान किया गया है।

- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण जिलों हेतु 40 एफ0आर0पी0 मोटरबोट एंव 194 इन्फ्लेटेबल मोटरबोट उपलब्ध कराये गये है, तथा जल संसाधन विभाग के माध्यम से एस0डी0आर0एफ0 एवं जिलों हेतु अतिरिक्त 110 मोटरबोटों का क्रय प्रक्रियाधीन है।

- अतिबाढ़ प्रवण सभी जिलों को 300–300 अतिरिक्त नाव तथा बाढ़ प्रवण जिलों को 150–150 नावों का क्रय/निर्माण कराने के आदेश दिये गये है। जिलों मे पूर्व से उपलब्ध सरकारी नावों की मरम्मति के आदेश दिये गये है।

- सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेल्ट्रॉन के माध्यम से कुल 830 जी0पी0एस0 सेट उपलब्ध कराये गए हैं।

- **आपातकालीन संचालन केन्द्र का निर्माणः–** राज्य स्तरीय आपातकालीन संचालन केन्द्र अपने भवन में कार्यरत हो गया है। इसके अलावा आपातकालीन संचालन केन्द का 35 जिलों में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है तथा शेष 03 जिलों में निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है।

- **वेयरहाउस का निर्माणः–** बाढ़ आपदा के समय प्रयोग में आने वाली सामग्रियों यथा टेन्ट, महाजाल आदि के सुरक्षित संधारण हेतु वेयर हाउस (गोदाम) का निर्माण 24 जिलों में पूर्ण हो गया है तथा शेष बाढ़ प्रवण जिलों में निर्माणाधीन/ प्रक्रियाधीन है।

- **गोताखोरों का प्रशिक्षणः**— 28 बाढ़ प्रवण जिलों के 30—30 गोताखोरो का प्रशिक्षण/ पुनर्पशिक्षण पूर्ण हो गया है। इसके अलावा गैर बाढ़ प्रवण जिलों से 15—15 गोताखोरों को भी प्रशिक्षित/ पुनर्पशिक्षित किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनरों का खोज एवं बचाव में प्रशिक्षणः**— 28 बाढ़ प्रवण जिलों के 297 बाढ़ प्रवण प्रखण्डों में खोज एवं बचाव कार्य हेतु दक्ष 10—10 मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। 20 बाढ़ प्रवण जिलों में अबतक 13410 समुदाय के लोगों को खोज एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

- भूकम्प जोन (V) अवस्थित एवं बाढ़ प्रवण 8 जिलों यथा सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनो, सुपौल, सहरसा, अररिया एवं किशनगंज जिले में 10—10 मास्टर ट्रेनरों को बाढ़ एवं भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है तथा 10—10 मास्टर ट्रेनरों को भूकम्प राहत एवं बचाव कार्य में प्रशिक्षित किया गया है।

- **मोटरबोट चालकों का प्रशिक्षणः**— बाढ़ प्रवण 25 जिलों में कुल 257 होमगार्ड के जवानों का मोटरवोट परिचालन हेतु प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

2. **सरकार द्वारा वर्ष 2010—15 के लिए निर्धारित साहाय्य मानदर**—भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष(एस0 डी0 आर0 एफ0) एवं नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड (एन0 डी0 आर0 एफ0) से वर्ष 2010—15 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों की बीच साहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित नया मानदर निर्धारित किया गया है जिसे राज्य सरकार ने दिनांक—01.04.2012 से राज्य में लागू किया है। यह मानदर दिनांक—01.04.2012 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा तथा समय—समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधित किये गये संशोधनों को भी राज्य में लागू किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2013—14 में बाढ़ साहाय्य हेतु विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों तथा कार्य विभागों को ₹54604.30 लाख की राशि आवंटित की गई है।

4. चक्रवात के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2013—14 में राज्य के विभिन्न जिलों तथा विभागों को कुल ₹12239.48 लाख की राशि आवंटित की गई है।

5. **शीतलहर से बचावः**– दिसम्बर 2013 एवं जनवरी 2014 में विभाग ने पूरे राज्य में जगह–जगह प्रतिदिन अलाव की व्यवस्था करायी। शीतलहर के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹38.00 लाख रूपये आवंटित किये गये, ताकि गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों का भीषण शीतलहर स बचाव हो सके।

6. **वज्रपात से मृत्यु को दशा में अनुदानः**– राज्य आपदा रिस्पौंस कोष के प्रावधानों के अनुसार वज्रपात से हुई मृत्यु को प्राकृतिक आपदा नहीं माना गया है। किन्तु राज्य सरकार ने निर्णय लेते हुए वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य निधि से अनदान देने की व्यवस्था की है। तद्नुसार पूर्व वर्ष की भॉति वित्तीय वर्ष 2013–14 में भी वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों हेतु संबंधित जिलों को ₹ 300.00 लाख रूपये आवंटित किया गया।

7. **अग्निकांड** :– राज्य में मार्च के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक अग्निकांड प्रतिवेदित होते रहे हैं। अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता मुहैया कराना आपदा प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है। विभाग के द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मुफ्त अनाज (1 क्वींटल), नगद अनुदान (4700/– रू0 प्रति परिवार) के साथ गृह क्षति मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में अग्नि सहाय्य मद में ₹3120.91 लाख रूपये आवंटित किये गये हैं।

8. **गैर प्राकृतिक आपदाः**– गैर प्राकृतिक आपदाओं के कारण मृत व्यक्तियों हेतु ₹1.50 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा गैर प्राकृतिक आपदा से घायल व्यक्तियों हेतु भी प्राकृतिक आपदा के मानदर के अनुरूप सहाय्य राशि देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में गैर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में घायलों के उपचार एवं मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देने हेतु कुल ₹ 311.24 लाख रूपये विभाग द्वारा जिलों को उपलब्ध कराया गया ।

9. वित्तीय वर्ष 2013–14 के जून माह में उत्तराखण्ड त्रासदी घटित हुई। उक्त त्रासदी में बिहार के निवासियों की भी मृत्यु हुई। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मृत व्यक्तियों हेंतु दिये गए अनुग्रह अनुदान के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी अपने संसाधन स्रात से प्रति मृतक ₹ 1.00 लाख की दर से अनुग्रह अनुदान का भुगतान दिया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड त्रासदी में मृत व्यक्तियों हेतु राज्य के विभिन्न जिलों को कुल ₹49.00 लाख आवंटित की गई।

10. राज्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹200.00 लाख की राशि आवंटित की गई है।

11. **राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठनः**– राष्ट्रीय आपदा रिस्पौंस फोर्स (NDRF) के अनुरूप राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स (SDRF) का गठन किया जा चुका है। SDRF के आवासन के लिए 25 एकड़ जमीन बिहटा में अधिगृहित की गई है। राज्य आपदा रिस्पौंस फोर्स के लिए चयनित जवानों को एन0डी0आर0एफ0 के बिहटा कैम्प में परीक्षण दिया जा रहा हैं। 542 कर्मियों को नियोजित किया गया, 368 कर्मियों ने योगदान किया परन्तु वर्त्तमान में 239 कर्मी ही कार्यरत है। जिनको CSSR, MFR, Motorized Boat चालक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

12. **शताब्दी अन्न कलश योजना** – राज्य में रहने वाले निर्धन, बूढ़े, शिथलांग, विधवा, निराश्रित तथा आघातयोग्य कमजोर वर्गो के लोगों के बीच भुखमरी की घटनाओं की रोकथाम करने तथा समाज के कमजोर वर्गो को भुखमरी की स्थिति में खाद्यान्न की आसान पहुॅच सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक पंचायत में नाम निर्दिष्ट जन वितरण प्रणाली विक्रेता के दुकान में 1 क्विंटल खाद्यान्न का चक्रीय स्टॉक संधारित किया गया ह, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यदि भूखमरी की दशा का सामना करते पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया सहित सरपंच, पंच एवं सम्बन्धित वार्ड सदस्य को चक्रीय स्टॉक से निर्धारित मात्रा में एक सप्ताह के लिये खाद्यान्न आपूर्ति हेतु अधिकार दिया गया है।

13. **भूकंपरोधी निर्माण कार्यो हेतु अभियंताओं / वास्तुविदों / भवननिर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का प्रशिक्षण**–राज्य के सभी जिलें भूकंप जोन में आते है अतएव सभी जिलों मे भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करने हेतु अभियंताओं, वास्तुविदों, भवननिर्माताओं एवं राज्य मिस्त्रियों का बिपार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण की बहुआयामी योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत विपार्ड के द्वारा 116 अभियन्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।

14. ''राज्य आपदा प्रबंधन योजना'' तैयार कर ली गई है तथा योजना पर माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।